our territory in order to meet any threat of aggression by Pakistan, at the present moment I do not visualise our taking any action to escalate the war in that field except to the extent Pakistan's action compels us to do. If Pakistan's intention is to escalate the fighting in other fields, as evidenced by the naval bombardment of Dwaraka Port, our forces are prepared to meet the threats which may be posed by Pakistan. As far as we are concerned, our action is limited to make Pakistan realise that we will not tolerate any interference with the territorial integrity of India of which Kashmir is a part. We have to prevent the mounting of any attack by the Pakistani military machine on our territories.

---

## MOTION *RE* FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—*continued*

SHRI J. S. PILLAI (Madras): Madam Deputy Chairman, the debate on the food situation is a very important one. Without food we cannot survive. Next to air and water we require food for our survival. So, I consider this as an important debate. I have a soft corner for the hon. Minister, not because he is a Madrasi, but because he has got the boldness to shoulder this portfolio. For food we depend on agriculture. Agriculture depends entirely on nature We know the vagaries of rains. When we want rain, we do not get it and when we do not need rain we get it. Agriculture depends on nature and food depends on agriculture. So, we entirely depend for food on nature. I have got some sympathy for the hon. Minister, but it does not mean that I subscribe to his view that there is scarcity of food. I buy my food, that is rice, and other things from Kharibaoli in old Delhi. Kharibaoli, as you know, is at the end of Chandni Chowk. Whenever I go there I am surprised to see *dukhans* filled with thousands of bags of rice and wheat. So, the difficulty lies in the distribution of these things. That is my opinion. Whenever I go to Madras during the off-session period I get stomach ache because of the very bad rice there. Also, another thing that I wish to bring to the notice of the hon. Minister is whenever I go to Madras I see long queues before each ration shop. The hon. Minister can give more rice ration shops so that there may not be difficulty in the distribution of rice. I was told in Madras that each man or woman is given 8 ounces of rice and 4 ounces of wheat. Somebody here said that wheat is not necessary for Madras, as very few people in Madras like wheat. So, I submit, take away the wheat from there and distribute it here. You can give us 12 ounces of rice. That will satisfy Madrasis.

Another thing I would like to bring to the notice of the hon. Minister is that during this off-session I had been to Tiruchendur in Tinnevelley district, where the farmers met me and told me that for procurement the officers do not take rice from the fields. These farmers were being asked to bring rice to the rice mill and procurement takes place there. That is what they have told me. Then, they also told me that the expenses to bring it from the field to the rice mill were borne by these farmers. I wish to know from the hon. Minister as to why the Government should not bear this. These poor farmers should not be asked to bear cartage from the fields to the rice mill.

Another thing also they told me. From the rich landlord who owns thousands of *velis* of land—land of 5½ acres is called a *veli* in Tamil—nothing is taken. Only these middle-class farmers, who own about five to six acres, were asked to give rice by these officials. Another thing is that the Harijans met me there and told me that they were not able to get good rice. As you know, in villages and other places Harijans are not asked to stand in the middle of the queue. They were asked to stand at the end of the queue and by the time

[Shri J S. Pillai.]

it comes to half of the queue, the rice is also exhausted. They told me that this was what had happened in the past; at that time Mr. Subramaniam was not a Minister. Perhaps he might have read this in papers at that time. The Chief Minister, Mr. Prakasam, was handling this portfolio and he gave this order, that is, wherever the Harijans wanted a ration shop, it should be given to them. The rule now is only those who trade in rice for three years are to be given permits or ration shops. They have abolished the previous rule, namely, wherever Harijans are there in a locality they should be given a ration shop to be owned by Harijans. I hope the hon. Minister will do it.

Another thing is this. The other day, two or three days ago, you will remember that Ayub Khan declared war on our country. At once the **small *dukhanwala*, who is selling** *sabji*, raised the price by one rupee. For instance, in respect of *sabjis* like brinjal, potatoes and other things they have raised the price by one rupee per kilo. I think the hon. Minister should have an eye on all these things.

Then, another thing to which I wish to invite the attention of the Minister is this. Good rice should be given to our 'jawans' who are fighting and also to the families of the Jawans who are residing here. We all know that whenever we go out of our house, our mind is working always about the family. So the jawans would always be thinking of their family. The jawans' families should also be given good rice, and they should be made to communicate this to the jawans because they would be anxious about them. We must see that they are given good rice. This is a very important thing. Then only they will have peace of mind. Otherwise their mind will be working about their own family. This is a thing which the hon. Minister can bear in mind and carry out. I know that a speech will not make more rice to grow, but if he carries out some of our suggestions it will give some peace for ourselves.

**श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल** ( महाराष्ट्र ) : उपसभापति महोदया, आज के प्रस्ताव पर, जिस पर बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रकट किये है, मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । इस प्रश्न को बहुत से पहलुओं से देखा जाना चाहिये क्योंकि हाउस में कई मेम्बरों को इसके बारे में गलतफहमी है कि महंगाई से किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है, या किसान अपनी फसल को ज्यादा कीमत पर अपनी मर्जी के मुताबिक बेचते हैं । मगर मैं आप से यह कहना चाहता हू कि ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है । आप यहां की इन्डस्ट्रीज को देख लीजिये, कपडे से लेकर कील तक, सीमेन्ट हो या कोई दूसरी चीज हों, जो ये इन्डस्ट्रीज बनाती है, उसमें अपना काफी मार्जिन रखकर हुकूमत को ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करती है कि इस तरह के प्राइसेज मुकर्रर किये जाने चाहियें । लेकिन जो बाकई किसान है और 75 फीसदी किसान ऐसे है जो अपना अनाज न रखकर दीगर चीजें खरीदने के लिए बेचते है । उस समय वह कभी नही कहता है कि ज्वार ५ रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया के हिसाब से बेची जानी चाहिये । वह तो अपना अनाज लेकर मंडी में जाता है और वहा पर दलाल उसकी चीजों को नीलाम कर देता है । खरीददार बोली बोलकर और अपना भाव लगाकर उसकी चीज को खरीद लेते है और उसको मजबूर होकर देना पड़ता है । अगर वह अपना माल वहा पर नही बेचता है तो कोई बोली नहीं बोलता है और न दूसरी जगह उसका मोल बिकता है । इसका नतीजा यह होता है कि उसको सस्ते दामों पर दलालों के जरिये माल

बेचना पडता है और खरीददार अपने भाव पर माल खरीद लेते है। इसी लिए मै कहना चाहता हू कि किसानों की हालत बहुत खराब है ।

मुझे उम्मीद थी कि किसानों की भलाई के लिए जो प्राइस कमिशन बनाया गया था, जिसमे बडे बडे विद्वान लोग थे, जिसमें एकनामिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिनको हिन्दुस्तान और दुनिया के जो कारखानेदार माल तैयार करते है उसकी कीमत मुकर्रर करने का तजुर्बा था उन्होने भी किसानों के अनाज के दामों को ठीक तरह मुकर्रर करने की कोशिश नही की । अगर नवल टाटा या दूसरे बडे बडे कारखानेदारो से यह कहा जाय कि फला चीज के दामो मे इतने पैसे की कमी कर दी जाय तो वे इस तरह की बातो को भी नही सुनेगे । अगर आप किसी इन्डस्ट्री वाले से कहिये कि सीमेन्ट की कीमत दो रुपया कम कर दो तो वह कभी नही करेगा। मुझे ताज्जुब है कि प्राइस कमिशन ने किसानो के अनाजो की जो प्राइस मुकर्रर की है उसमें उनके कास्ट आफ लिविग और प्रोडक्शन की कीमत को ध्यान में रखकर दाम मुकर्रर नही किये । उन्होंने महज यह कहकर कि खानेवालों और पैदा करने वालो में दामो के बारे मे झगड़ा हो जायेगा इसलिए उन्होने शायद ख्वाब या स्वप्न में राइस के दाम 35, 36 रुपया मुकर्रर कर दिये और ज्वार के दाम 41 रुपया कर दिये। मेरी समझ में यह बात नही आई कि जब प्राइस कमिशन मे इतने बुद्धिमान आदमी थे तो उन्होंने इतनी सादी चीज को क्यों नही समझा और किसान का जितना प्रोडक्शन में खर्च होता है और इस समय कास्ट आफ लिविग जो है, उसको सामने रखकर प्राइसेज क्यो मुकर्रर नही कीं ? उन्होने 10 या 15 फीसदी मार्जिन रखकर प्राइसेज को मुकर्रर नही किया, जो मै समझता हू कि मुनासिब बात नही की गई ।

आज हमारी सरकार किसानो के बलबूते पर यहा पर बैठी हुई है और आज सब चीजे, यह हाउस, मिलिटरी, सब उन्ही के बलबूते पर चल रही है । इतना होने पर भी प्राइस कमीशन ने किसानों की चीजो की कीमत मुकर्रर करने मे हिचकिचाहट क्यो की ? हमारे प्रथम प्रधान मत्री ने 1951 मे कहा था कि हमारा देश खाने के मामले मे अपनी कमी को पूरा कर लेगा और हमारे सुब्रह्मण्यम साहब भी कहते है कि चौथी योजना मे खाने के मामले मे स्वावलम्बी हो जायेगे, लेकिन मै नहीं समझता कि यह बात कैसे होगी । इस समय पानी के इस्तेमाल करने के लिये जो खर्च होता है, मैन्योर मे जो खर्च होता है फर्टीलाइजर पर जो खर्च होता है अगर वह न हो तो मै नहीं समझता कि आपका देश खाने के मामले मे स्वय पूर्ण हो सकेगा या स्वावलम्बी हो जायेगा । आपने जो इस तरह की कल्पना कर रखी है कि हम इतना खर्च करके देश मे खाने की समस्या हल कर लेगे, उसमे मुझे शक है और इसको एक कल्पनामात्र ही समझता हू ।

अब मै आपके सामने डिस्ट्रिब्यूशन के बारे मे कुछ कहना चाहता हू । जमीन का यह हाल है कि उसके बारे में जितने कानून बनाये जा चुके है वे सब हवा में ही उड़ रहे है और किसी किसान को जमीन जोतने के लिए जमीन नही मिली है और इस तरह से देश मे एक अनार्किस्ट कंडिशन पैदा हो गई है । जो हल चलाता है वह यह नही समझता है कि क्या पैदा होगा क्योकि जमीन जमीदारो के पास रहती है और मालिक यह नही समझता है कि यह जमीन मेरे पास रहेगी या नही । इस तरह से खेतों मे खेती नही हो रही है जिसकी वजह से अनाज की सारे देश मे कमी होती जा रही है । आप कानून के द्वारा उपज बढाना चाहते है लेकिन उसमे आपको अभी तक कोई कामयाबी नही हुई है ।

[श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल]

दूसरी चीज मै प्राइस कमिशन के बारे मे यह कहना चाहता हू कि उनका इस बारे मे जो नजरिया है वह केवल खवाबी नजरिया है । हमारे अर्थ मत्री जी ने मार्च के महीने मे यह कहा था कि अगर बाहर के लोग यहा पर अपनी पूजी लगाना चाहते है तो हम उनको डायरेक्ट टैक्सेज मे 100 करोड रुपये का कनसेशन देगे और कल उन्होने कहा कि चौथी योजना मे इस काम के लिए कोई टैक्स नही लिया जायेगा । लेकिन मै बदकिस्मती के साथ कहना चाहता हू कि किसानो के ऊपर आप 10, 15 सालो से जो टैक्स लगाते आ रहे है वह दस गुना बढ गया है । आज किसानो की कास्ट आफ लिविग बढ गई है । उन्हे अपनी जरूरत की चीजो के लिए बहुत काफी कीमत देनी पडती है लेकिन उनके चीजो के दाम प्राइस कमिशन ने नही बढाये है । आज किसान को कपडे, लोहे के सामान के लिए और अपनी जरूरत की दूसरी चीजो के लिए बहुत ज्यादा कीमत देनी पडती है । किसान को तेल से लेकर बैल तक, सब चीजो के दाम ज्यादा देने पडते है और इन चीजो को वह बाजार से ज्यादा दामो मे खरीदता है । इसलिए मै कहना चाहता हू कि अगर आप असली बुनियादी बात चाहते है, देश मे पैदावार बढाना चाहते है, तो किसानो की चीजो की कीमत भी आपको ठीक तरह से मुकर्रर करनी पडेगी । इस बारे मे बहुत से सवाल उठते है कि अगर गल्ले के दाम 60 रुपया कर दिया जायेगा तो खरीदने वाले का क्या होगा। मै 60 रुपया नही मानता हू, लेकिन इतना जरूर कहूगा कि जो पैदा करने वाला किसान है उसको भी उसकी जरूरत की चीजो को सस्ती दामो पर दीजिये । आप उसको लोहा, फर्टीलाइजर और जिन्दगी की जितनी जरूरी चीजे है, उसे कम कीमत पर दे । इस बारे मे मेरा यह कहना है कि इन्डस्ट्रीज के प्राइसेज को स्टेबलाइज कर दिया जाना चाहिये और एक को रिलेटेड प्राइस बनाया जाना चाहिये जिससे किसानो को उनकी जरूरत की चीजे ठीक दाम पर मिल सके ।

इस बारे मे एक गलतफहमी यह हो गई है कि जब यह कहा जाता है कि अगर किसानो की पैदावार की चीजो के दाम बढाये जायेगे तो खानेवालो का क्या होगा । लेकिन जो 75 फीसदी किसान हमारे देश मे है वे खानेवाले ग्राहक बनकर आते है और अपने घर का नही खाते है, इसमे किसी को कोई शक नही होना चाहिए । इसलिए मै कहना चाहता हू कि इस बारे मे एक इन्क्वायरी कमिशन बनाकर देख लीजिये कि किसानो को उनकी उपज का 10 फीसदी भी दाम नही मिलते है । इसलिए ये बाते प्रोडक्शन के बारे मे कहना चाहता हू और उम्मीद करता हू कि सरकार इस बारे मे कोई न कोई कार्यवाही जरूर करेगी ।

अब मै डिस्ट्रीब्यूशन के झगडे के बारे मे कहना चाहता हू और इस बारे मे मै हमेशा से कहता आया हू कि आपके गाडी के घोडे को आगे आना चाहिये लेकिन आप उसको गाडी के पीछे बाधते है । हमारे भूपेश गुप्त ने प्रोडक्शन के बारे मे तीन बाते कही कि सरकार ने इस साल 88 87 मिलियन टन का प्रोडक्शन टार्गेट रखा है और बाहर से 6 मिलियन टन अनाज ला रहे है । अगर ऐसी बात है तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये और मै नही समझता कि इतने पर भी हमारे देश मे गल्ले के बारे मे कोई क्राइसेस होगी । लेकिन इस बारे मे जो झगडा है वह केवल चन्द अनाज रखने वाले लोगो का है, उन्ही के बीच मे है और सरकार उन्हे हाथ भी नही लगाती है । मैने अपने महाराष्ट्र मे यह देखा कि ज्वार की प्राक्योरमेट करने की जो कीमत मुकर्रर की गई थी उससे भी 5 रुपया ज्यादा वहा की सरकार ने ले लिया और किसानो को नही दिया गया । ज्वार की जो 45 रुपया प्राइस रखी गई वह खवाब मे तैयार की गई है और उसम

किसी प्रिंसिपल का ख्याल नही रखा गया। हमारे तहसील में कलेक्टर ने जिसे चाहा नोटिस दे दिया, इतना किलो ज्वार दो चाहे वे एक या 10 किलो ही ज्वार पैदा करते हों। जो दोलतमन्द किसान हैं, जो 200 या 300 मन ज्वार पैदा करते हैं उनसे भी उतना ही प्रोक्योरमेन्ट किया गया जितना उनसे जो 10 या 15 किलो पैदा करते है। इस तरह से दौलतमन्द लोगों से कम ज्वार लिया गया और जो छोटे किसान हैं उनसे उनका सब कुछ ले लिया गया। मैं आपको मिसाल देना चाहता हू कि जिन दौलतमन्द लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये, उनको छुड़ाने के लिए मिनिस्टरो ने फोन किया और छोड़ने के लिए कहा। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट नाम चाहती है तो मैं नाम ले सकता हूं कि किस मिनिस्टर ने इस तरह की बात की। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट करने का जो तरीका है उसे ठीक तरीके से लागू किया जाना चाहिये। आपने देखा होगा कि क्या प्राइस हो गई और कितनी जल्दी हो गई। इसका यह कारण था कि आप की प्रोक्योरमेन्ट की जो पालिसी थी, वह गलत इस्तेमाल की गई जिस की वजह से आज गरीब किसानों के पास खुद के खाने के लिए नही रहा। उसके बाद उनको दौलतमन्दों को डेढ़ गुना कीमत देनी पड़ती है।

5. P.M.

दूसरा मसला महाराष्ट्र के बारे में यह है कि यह तक्सीम तनी गलत बुनियाद पर है कि बम्बई में एक आदमी को दस किलो दिया जाता है, पूना में एक आदमी को 6 किलो दिया जाता है और कोलाबा में एक आदमी को 8 किलो दिया जाता है। देहातों में तो दो तीन किलो या जितनी मर्जी आये दे दिया जाता है। यकीनन ऐसे लोग जो परेशान हो जाते है, वे लूटते भी हैं, लेकिन लूटने का प्रोग्राम कोई नही बनाता है और अनाज जलाने की किसी की हिम्मत नही है। यह तो अफवाहे है जो उनको बदनाम करने के लिये उड़ाई जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हू कि हमे चार किलो मिले, तो हम अपने बच्चो का पेट कैसे भरेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास के घर में गेंहूं की रोटी बनती है और आपका भूखा बच्चा रोता हुआ आये और कहे कि मुझे गेहूं की रोटी दो, तो आप सोचिये कि आप की क्या हालत होगी। हम यहां बैठे हुये यह कह सकते हैं कि संतुष्टता होनी चाहिये। हम यह भी कह सकते हैं कि काश्मीर और चीन का प्रश्न है। हम ये सब बातें इस लिये कह सकते है क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है और हम अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं।

फिर ऐसे 30 टका लोग ही है, जिन को अनाज दिया जाता है। सब लोगों को अनाज नही दिया जाता है। महाराष्ट्र में सिर्फ 30 फी सदी लोगों को अनाज दिया जाता है और वह भी एक आदमी को तीन चार किलो दिया जाता है। अब आप खयाल कीजिये कि इससे एक महीना कैसे काम चलेगा। और जिन को 12 आने या 8 आने रोज मिलते हैं, उनसे क्या हम यह उम्मीद करते है कि वे एक रुपया किलो ज्वार ले कर अपने बच्चों का पेट भर सकते है। तो यह मसला बहुत अहम है। मैं यह समझ सकता हूं कि हम चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते है, हमारे पास मैन पावर है और हमारी जो मिलिट्री है उसको हम अच्छे अच्छे आर्मामेंट्स दे सकते हैं। लेकिन मिलिट्री में काम करने वालों के जो बच्चे देहात मे रहते हैं, उनके बच्चों को अगर हम तीन चार किलो अनाज देने की कोशिश

[श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल]

करेंगे, तो यह ठीक नहीं है । अंत में मैं यह फिर कहूंगा कि आम लोगों में देशप्रेम की कमी नहीं है, मगर गवर्नमेन्ट की गलत नीतियों के कारण लोग लूटने के लिये मजबूर हो जाते हैं । हमारी संस्कृति लूटने से रोकती है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 10·00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till ten of the clock on Thursday, the 9th September 1965.

GMGIPND—RS—642 RS—J. C. No. 10212/65-66—19-1-66—570·